

FORM NO. III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

अज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम विजौलियाँ, जिला-भीलवाड़ा  
चतुर्थ वनाम अनिता

किरम मुकदमा धारा S3RTA प्रकरण संख्या 07/25  
GCMS नम्बर:- 2025/11

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय, इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	------------------------------------	--

15/9/25	<p>पत्रावली पेश की गयी। तत्पश्चात् विजौलियाँ से प्राप्त रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् विजौलियाँ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, एवं संलग्न पत्रावली किया गया। पत्रावली को स्वीकार किया गया। पत्रावली में विस्तृत आदेश पृष्ठ से लिखा गए, एवं खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली में 100/- का स्टम्प पेश करने पर डिफि जारी की गयी। पत्रावली नम्बर से कम होकर, दाखिल दर्ता की</p>	<p><i>[Signature]</i> वकाश स्वीकार <i>[Signature]</i></p>
---------	---	---

उ  
उप खण्ड अधिकारी  
विजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा



राजस्थान सरकार

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)**

**भीतसीन अधिकारी :-अजीत सिंह रावौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी**

रण संख्या 07 /2025

दायर दिनांक 24.01.2025

अनवाग

01. चतुर्पुत्र पुत्र हंसा जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कल्याणपुरा तहसील विजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

बनाम

.....गन्दी

01. मांगीबाई पतिन शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कल्याणपुरा तहसील विजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. राजुलाल पुत्र शंकरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी कल्याणपुरा तहसील विजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. भूमिधारी जरिये तहसीलदार विजौलियां तहसील विजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)  
..... प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 1. श्री रामफूल धाकड़ - विद्वान अधिवक्ता वादी

2. श्री मुकेश धाकड़ - विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं0 1, 2

**उपखण्ड अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**:- निर्णय :-**

दिनांक :- 15 /09 /2025

संक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 18.08.2025 को प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी हुयी कि मौजा ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील विजौलिया के खाता संख्या 163 पर अंकित आराजी संख्या 155 रकबा 0.9470 हैक्टयर, आराजी संख्या 298 रकबा 0.0081 हैक्टयर, आराजी संख्या 380 रकबा 0.7122 हैक्टयर, आराजी संख्या 381 रकबा 0.2104 हैक्टयर, आराजी संख्या 383 रकबा 0.3642 हैक्टयर, आराजी संख्या 422 रकबा 0.9389 हैक्टयर कुल किता 6 रकबा 3.1808 हैक्टयर भूमि में वादी का 1/2 हिस्से की भूमि का मिट्टस एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किए जाने के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार विजौलिया से लिया गया। तहसीलदार विजौलियां ने अपने पत्रांक/राजस्व/2025/1450 दिनांक 08.09.2025 से प्राथमिक डिक्री की पालना, मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादी को स्वीकार है।

विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्टस एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर वादीगण की उपस्थिति में तैयार करना भू-अभिलेख निरीक्षक उमजी का खेड़ा ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है।

लगातार पेज संख्या 02 पर

**उप खण्ड अधिकारी**

**विजौलियां जिला-भीलवाड़ा**

पेज संख्या 02

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
01	चतुर्भुज पुत्र हंसा धाकड़ सा० खातेदार	कल्याणपुरा	155 / 1 380 / 1 381 / 1 383 / 2 422 / 1	0.4735 0.3561 0.1052 0.1821 0.4694
	योग		खसरा 05	1.5863
02	मांगी बाई पत्नि स्व. शंकरलाल 1/2 धाकड़ सा० देह राजूलाल पुत्र शंकरलाल 1/2 धाकड़ सा० देह खातेदार	कल्याणपुरा	155 / 2 380 / 2 381 / 2 383 / 1 422 / 2	0.4735 0.3561 0.1052 0.1821 0.4695
	योग		खसरा 05	1.5864
03	चतुर्भुज पुत्र हंसा 1/2 धाकड़ सा० खातेदार मांगी बाई पत्नि स्व. शंकरलाल 1/4 धाकड़ सा० देह राजूलाल पुत्र शंकरलाल 1/4 धाकड़ सा० देह खातेदार	कल्याणपुरा	298	0.0081
	योग		खसरा 01	0.0081

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री मूर्तिब की जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

3  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलिया

निर्णय आज दिनांक 15 / 09 / 2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलिया

